रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 1974/श्रावण 17, 1896

No. 348] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 1974/SRAVANA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

GOVT. of India

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 8th August 1974

S.O. 485(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In paragraph 25 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970—

(a) in sub-paragraph (1), for the words "any drug manufacturing unit or a class of such units", the words "a class of drug manufacturing units" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (2), the words "relating to the drugs manufacturing unit or a class of such units" shall be omitted.

[No. 17(1)/73-Ch.III]

VINOD KUMAR, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1974

का० आ० 485 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम औषध (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 25 में —

(क) उप-पैरा (1) में, "कोई औषध विनिर्माता यूनिट या यूनिटों का कोई वर्ग" शब्दों के स्थान पर "औषध विनिर्माता यूनिटों का वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-पैरा (2) में, "औषध विनिर्माता यूनिट या ऐसे यूनिटों के वर्ग से सम्बन्धित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[सं० 17 (1)/73-सी० एच०-III]

विनोद कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974